भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GB 856542

प्रारूप "अ"

शपथ पत्र

हम **मयंक वर्मा** एवं **मुकेश कपूर** क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव **इं० उमाकांत गोयल मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी, लक्ष्य इंस्टिट्यूट, ग्राम आदमपुर 8 किमी. पुवायां रोड शाहजहांपुर** शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते है -

1. यह कि हमारी सोसाइटी द्वारा **लक्ष्य इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट एंड इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी , ग्राम आदमपुर 8 किमी. पुवायां रोड शाहजहांपुर** नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है |
2. यह कि हमारी सोसाइटी के नाम **ग्राम आदमपुर 8 किमी. पुवायां रोड शाहजहांपुर** में गाटा संख्या **199** रकबा **1.032** हेक्टेयर (कुल रकबा **1.032** हेक्टेयर) भूमि है |
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है और भूमि विवाद रहित है |
4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या **199** रकबा **1.032** हेक्टेयर (कुल रकबा **1.032** हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी की बैठक दिनांक **29/06/2022** द्वारा पारित किया गया है |
5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है |

9/9/2023

Suraj Singh
ADVOCATE
NOTARY DISTT. COURT
Shahjahanpur

6. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है |

7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा |

8. यह कि इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ़ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्रावधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा |

9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ़ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद उ० प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद / विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित / सम्बद्ध कोई संस्थान / विद्यालय / महाविधायलय / आई० टी० आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है न ही भविष्य में किया जायेगा |

10. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्रावधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा |

11. यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा |

12. यह कि शासन / परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों / आदेशों का भलीभांति पालन करेंगे | यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं हमे मान्य होगा | इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जायगी |

13. हम घोषणा करते है कि हमारे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना हमारी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है | यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख / दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते है तो हमारे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी | ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु हम स्वयं उत्तरदायी होंगे |

ह० सचिव

Certified that Shri/Smt./Km. Mukesh Kapoor & Mukesh Kapoor has/have been identified by Shri ... presented this affidavit before me to day at 2/3/23 time 10.30 AM contents of this affidavit were read over to the deponent & confirmes to contents to be true

ह० अध्यक्ष

NOTARY
Suraj Singh
Advocate Notary
Distt. Shahjahanpur
GOVT OF INDIA

2/3/23
Suraj Singh
ADVOCATE
NOTARY DISTT. COURT
Shahjahanpur 242001